



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22450-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या.- 2605/2026

नन्द कुमार एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, सिविल सचिवालय, लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:- नीरज पांडे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रतिवादियों संख्या 1 से 3 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या-4 को कोई सूचना जारी न की जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. चुनौती के अधीन दिनांक 15.01.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट/मुकदमा अपराध संख्या 0014/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 333, 109, 308(2), 115(2), 352, 351(3), 2023, थाना गुरबख्शगंज, जनपद रायबरेली के अंतर्गत पंजीकृत है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप न केवल प्रत्यक्षतः असत्य हैं, बल्कि अन्य आधार भी मौजूद हैं: (क) याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109 के अंतर्गत कोई मामला नहीं बनता है, (ख) शिकायतकर्ता को कोई चोट नहीं आई है, (ग) किसी आग्नेयास्त्र की चोट का उल्लेख नहीं है, (घ) शिकायतकर्ता के घर में सीसीटीवी लगे होने के बावजूद किसी सीसीटीवी फुटेज का हवाला नहीं दिया गया है, और (ड) याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में स्वयं दिनांक 14.01.2026 को थाना गुरबख्शगंज, जनपद रायबरेली में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12 दर्ज कराई थी।

5. याचिकाकर्ताओं द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य कोई आधार नहीं लिया गया है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त आधार प्रत्यक्षतः तर्कहीन एवं भ्रामक हैं और तदनुसार उन्हें खारिज किया जाता है। इसके कारण स्पष्ट हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मुस्कान बनाम ईशान खान (सतानिया) एवं अन्य; 2025 INSC 1287** के मामले में यह निर्धारित किया है कि न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को सत्यापित करने के लिए संक्षिप्त विचारण का आयोजन करें।

7. सुविधा के लिए, **मुस्कान (उपरोक्त)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"हमारा यह विचार है कि उच्च न्यायालय ने शिकायतों एवं प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या अन्यथा के संबंध में जांच शुरू करके विधिक त्रुटि की है। सामान्यतः, किसी प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। वर्तमान मामले में, शिकायतों और प्राथमिकी के संयुक्त पठन से यह देखा जा सकता है कि उत्पीड़न और दहेज की मांग के प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं, इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने निजी प्रत्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी को मुख्य रूप से इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा पहले दर्ज कराई गई दो शिकायतों में 22.07.2021 और 27.11.2022 को हुई विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं था, और पश्चात में उन्हें प्राथमिकी में केवल एक सोचे-समझे विचार के रूप में और प्रतिवादी संख्या-1/पति द्वारा अपीलकर्ता को भेजी गयी विधिक सूचना के प्रतिशोध के रूप में शामिल किया गया था क्योंकि वह अपने ससुराल वापस नहीं आ रही थी। हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण संक्षिप्त विचारण आयोजित करने के समान ही है।"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सोमजीत मल्लिक बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य : 2024 INSC 772** के मामले में निम्नानुसार निर्धारित किया है:

"18. यह एक सुस्थापित विधि है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी आरोपों का विश्वकोश नहीं है। इसलिए, यह परीक्षण करने के लिए कि क्या कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने को प्रकट करती है, आरोपों में किसी चूक को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसमें निहित आरोपों के सार को देखा जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध किया गया है या नहीं। इस स्तर पर, न्यायालय के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है कि कौन सा विशिष्ट अपराध किया गया है। जांच के पश्चात, आरोप

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तय करने के समय ही, जब जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री न्यायालय के समक्ष होती है, न्यायालय को यह राय बनानी होती है कि अभियुक्त पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उससे पूर्व, यदि न्यायालय संतुष्ट हो, तो वह अभियुक्त को दोषमुक्त भी कर सकता है। इस प्रकार, जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त की ओर से किसी बेईमानी पूर्ण आचरण का आरोप लगाया गया हो, जो सामग्री द्वारा समर्थित होने पर किसी संज्ञेय अपराध के होने को प्रकट करता हो, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करके जांच में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सोमजीत मल्लिक (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जब कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने को प्रकट करती है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध किया गया है या नहीं, उसमें निहित आरोपों के सार को देखा जाना आवश्यक है। इस स्तर पर, न्यायालय के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं है कि कौन सा विशिष्ट अपराध किया गया है। इस प्रकार, जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त की ओर से किसी संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया हो, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करके जांच को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

10. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **संजय कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2025 लाइव लॉ (SC) 1170** के मामले में यह निर्धारित किया है कि जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से कोई संज्ञेय अपराध बनता है, वहाँ उच्च न्यायालयों से हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाती है।

11. सुविधा के लिए, **संजय कुमार गुप्ता (उपरोक्त)** के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों (प्रस्तर 6 और 7) को नीचे उद्धृत किया गया है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"6. उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और फिर भी अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् यहाँ निजी प्रतिवादियों को आरोप-पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी से पूर्ण संरक्षण प्रदान कर दिया, जो हमारी राय में, मामले की जांच के लिए गंभीर प्रतिकूल प्रभाव का कारण बना है। इस तरह के निर्देश के पीछे न तो कोई तर्क है और न ही कोई औचित्य है।"

7. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के प्रावधान उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हैं। अतः, किसी अपराध का कोई भी अभियुक्त यदि इस तरह के संरक्षण की मांग करना चाहता है, तो उसे प्रथम दृष्टया सक्षम सत्र न्यायालय के समक्ष जाकर उचित उपचार प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्यवाही को निरस्त करने के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करते हुए, एक आपराधिक रिट याचिका में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की राहत प्रदान करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और अक्षम्य है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **नीहारिका आधारिक संरचना (नि.) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 19 SCC 401** में प्रकाशित किए गए मामले में निर्धारित किया गया है:-

"22. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2014) 4 SCC 453] के मामले में यह टिप्पणी की गई है कि यद्यपि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के पास अत्यंत व्यापक शक्तियाँ हैं, फिर भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इन शक्तियों का प्रयोग न्याय की विफलता को रोकने और अधिकारियों द्वारा बिना किसी भेदभाव के अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी करके विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसी याचिका पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय से दो हितों के बीच संतुलन बनाने की अपेक्षा की जाती है। एक ओर, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसी शक्ति का उदारतापूर्वक प्रयोग न किया जाए जिससे यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की कार्यवाही में परिवर्तित हो जाए। दूसरी ओर, यह भी कहा गया है कि जब भी उच्च न्यायालय को यह लगे कि किसी विशेष मामले में यदि गिरफ्तारी-पूर्व संरक्षण नहीं दिया गया, तो यह न्याय की घोर विफलता होगी और विचारण लंबित रहने तक गिरफ्तारी का कोई मामला ही नहीं बनता है, तो उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम जमानत की प्रकृति का अनुतोष देने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि इस शक्ति का प्रयोग विरलतम मामलों में ही जहाँ यह पूर्णतः आवश्यक और न्यायोचित हो, वही किया जाना चाहिए, हालांकि, गिरफ्तारी न करने या "कोई दंडात्मक कदम न उठाने" जैसा व्यापक अंतरिम आदेश यंत्रवत और सामान्य प्रक्रिया के रूप में पारित नहीं किया जा सकता है।"

23. जहाँ तक आरोप-पत्र/अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक एवं/या विवेचना के दौरान गिरफ्तारी न करने और/या "कोई दंडात्मक कदम न उठाने" के आदेश का प्रश्न है, अथवा विवेचना पूर्ण होने तक गिरफ्तार न करने का आदेश, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 एवं/या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर याचिकाओं को खारिज करते समय और यह राय व्यक्त करने के बाद कि प्राथमिकी/शिकायत को निरस्त करने का कोई मामला नहीं बनता है, पारित किए जाते हैं, ऐसे आदेश पूर्णतः अस्वीकार्य हैं।

12. तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संजय कुमार गुप्ता (उपरोक्त), सोमजीत मल्लिक (उपरोक्त) और साथ ही मुस्कान (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के साथ-साथ प्राथमिकी की अंतर्वस्तु पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध एक संज्ञेय अपराध बनता है और आक्षेपित प्राथमिकी में किसी भी हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार करना एक संक्षिप्त विचारण संचालित करने के समान होगा।

13. उपर्युक्त विचार-विमर्श को दृष्टिगत रखते हुए, यह रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति अब्दुल

मोइन)

मार्च 31, 2026

ए कटियार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।